क्रम-सं0-161 (ख)

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2025
07 आश्विन, शक संवत् 1947

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 2253/वि0स0/संसदीय/73(सं)/2018

लखनऊ, दिनांक 29 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) यह नियम उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 कहलायेगा।

(2) यह नियम दिनांक 26 सितम्बर, 2025 की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2-सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियम, 2007 की धारा-5 में ***"जो समुचित रसीद के बदले नगद रूप में या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में होगा"*** के स्थान पर ***"जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में होगा"*** पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 27 राजपत्र (176)-30-09-2025-585+15 प्रतियां।